उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–2
संख्या– 302/36--2–2010–10/2010
लखनऊःदिनांकः 26 मार्च, 2010
कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन)नियमावली,2009 के नियम 275 और 276 के अंतर्गत भवन एवं सन्निर्माण के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन की व्यवस्था को प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा–12 (2) एवं नियमावली के नियम 276(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा कालम--2 में उल्लिखित विभागों, निगमों, प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में कालम--3 में उल्लिखित उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों को कालम-4 में उल्लिखित उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत, लाभार्थियों के रूप में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण करने हेतु प्रस्तर--5 में प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

कमांक	विभाग/स्थानीय निगम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार	प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1	लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/जल निगम/जल संस्थान	जिला स्तर पर तैनात समस्त अवर/सहायक अभियंता	अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत	प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी
2.	नगर निगम	समस्त अपर/उप नगर आयुक्त एवं उनके नियंत्रणाधीन अभियंत्रण विभाग के अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
3.	नगर पालिका/टाउन	अधिशासी अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–
4.	विकास प्राधिकरण	समस्त अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
5.	आवास विकास परिषद	समस्त अवर/सहायक अभियंता	–तदैव–	–तदैव–
6.	जिला परिषद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–

उपरोक्त प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियमावली के नियम-276 एवं नियम–277 का प्रभावी अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करते हुये उनके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में अंतर्गत उनके अथवा उनके नियंत्रणाधीन संविदाकारों के माध्यम से नियोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों का लाभार्थी स्वरूप पंजीयन सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रगति से नियमित रूप से क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों के माध्यम से बोर्ड को निर्धारित प्रारूप पर मासिक सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रम विभाग के स्थानीय अपर/उप/सहायक

श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रस्तर–3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा सम्पर्क करने पर यथावॉछित विवरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(डा० आर० सी० श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव / प्रशासक,
उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

संख्या– 302(1) /36–2–2010–10/2010,तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव / विभागाध्यक्ष – द्वारा श्रमायुक्त
(2) श्रमायुक्त,उ०प्र०कानपुर।
(3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा–श्रमायुक्त

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी०टी० रोड, कानपुर

दिनांक 30 मार्च 2010

पत्र सं०– 1013–1137 /सं०अनु०–10

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
5– समस्त अपर / उप श्रमायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत जिलों में तैनात सभी प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारियों को भी उपर्युक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस० पी० शुक्ला)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।